

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल & मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी & म०प्र० ग्वालियर
सर्किट कोर्टरीवा, म०प्र०.

528
3-9-14



Rs. 20/-

R- 3373 - 11/14

- 1- रावेन्द्र तिवारी
- 2- राकृष्ण तिवारी & पुत्रगण इन्द्रभान प्रसाद तिवारी
- 3- संतोष कुमार तिवारी & श्रीमती चरिते ली बाई व/र श्री इन्द्र मन्मथ प्रसाद तिवारी
- 4- निवासीगण ग्राम मुडियारी, तहसील सिरमौर जिला रीवा, म०प्र०.

-----आवेदक

बनाम

-----अनावेदक

म०प्र० राज्य

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 56 सहपठित धारा 61
भारतीय मुद्रांक अधिनियम । विरुद्ध आदेश स्टाम्प
कलेक्टर रीवा जिला रीवा, म०प्र०. के प्रकरण
क्र० 89-बी-103/12-13 आदेश दिनांक 20.3.14
में पारित ।

श्री. अरविन्द यादव
ग्रा आज दिनांक 23-9-14 के
स्तुत किया गया।

रीडर
30/9/14 सर्किट कोर्ट रीवा
क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

वसुधैव कुटुम्बकम्
राजस्व मंडल न. प्र. ग्वालियर

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

55

प्रकरण क्रमांक R.3373-2014 जिला-रीवा

रावेन्द्र तिवारी / म. 9. शा. 111

(1)	(2)	(3)
18-7-18	1. आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। समय-समय पर तीन बार आवाज लगाई गयी। आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है।	[Signature] सकस्य 18/7/18
रीवा क्रैम्प		

[Signature]